प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 26.07.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 170/26 धारा- 109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 04 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 25.06.2026 को थाना छपरौली पर वादी इलयास पुत्र मोजू निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त आजाद पुत्र रोजू निवासी ग्राम चौबली थाना छपरौली जनपद बागपत व रिहान पुत्र इलयास निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत **द्वारा वादी के बडे बेटे सादाब को जान से मारने की नीयत से पिस्टल से गोली मारना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु.अ.सं. 170/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.स. 170/26 धारा - 109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रिहान पुत्र इलयास को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 04 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिहान पुत्र इलयास निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 04 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली।
2.है0का0 520 सरफराज थाना छपरौली।
3. है0का0 708 कपिल वर्मा थाना छपरौली।

प्रेस नोट थाना बड़ौत

जनपद बागपत

दिनांक-26.07.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 527/26 धारा 304(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से छीनी हुई 01 ब्लूटुथ व 2200 रुपये नगद, 01 आधार कार्ड (वादी का) तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कुटी न0 HR10X5502 बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.07.2026 को आवेदक श्री शिवकुमार पुत्र महावीर सिंह नि0 शाँहपुर बडौली थाना बडौत, जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि स्कूटी न0 HR 10X5502 व एक अन्य मोटर साइकिल पर सवार कुल चार लोगो द्वारा झपट्टा मारकर आवेदक के गले मे पडी बलूटूथ व आवेदक का मोबाइल Redmi जिसका जिसके कवर के पीछे आवदक का आधार कार्ड व 3000 रुपये थे छीन कर भाग गये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 527/26 धारा 304(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं बांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0

527/26 धारा 304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से छीनी हुई 01 ब्लूटुथ व 2200 रुपये नगद, 01 आधार कार्ड (वादी का) तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कुटी न0 HR10X5502 बरामद बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः-

मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही एवं बरामदगी के आधार पर धारा 3(5) /317(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अभिषेक पुत्र अजय निवासी सिक्का कालोनी थाना सैक्टर 27 जिला सोनीपत राज्य हरियाणा उम्र करीब 20 वर्ष

2-शिवम पुत्र जसवीर निवासी सैक्टर 112 थाना सैक्टर 27 जिला सोनीपत राज्य हरियाणा उम्र करीब 19 वर्ष

3-लक्ष्य उर्फ गोगा पुत्र मनोज निवासी सिक्का कालोनी थाना सैक्टर 27 जिला सोनीपत राज्य हरियाणा उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 ब्लूटुथ (छीना हुआ)
- 2200 रुपये (छीना हुआ)
- 01 आधार कार्ड (वादी का)
- 01 स्कुटी न0 HR10X5502 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री सत्यम कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-है0का0 661 गंगाप्रसाद थाना बडौत जनपद बागपत।

4-का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।

5-रि0का0 507 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 26.07.26**

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 519/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्ज से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल UP-17-Z-4610 बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 23.07.26 को थाना बडौत पर वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त के द्वारा वादी की मो0साइकिल हीरो स्प्लैण्डर प्लस जिसका नं0 UP-17-Z-4610 को चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 519/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0स0 519/26 धारा 303(2) बी.एन.एस., का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे

से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल UP-17-Z-4610 बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- अमित पुत्र वीरसैन निवासी गांव शाहपुर बडौली थाना बडौत जिला बागपत उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर
- मोटरसाईकिल UP-17-Z-4610 (मु0अ0सं0 519/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत
2-उ0नि0 श्री हिमांशु सागर थाना बडौत जनपद बागपत
3-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत
4-है0का0 564 जितेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत
5-रि0का0 448 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 26.07.26

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 514/26 धारा 3(5),140(4),115(2),351 बीएनएस व 3/4 (2) पोस्को एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 514/26 धारा 3(5),140(4),115(2),351 बी.एन.एस. व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त दींपाशू को गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

दींपाशू पुत्र श्री रविन्द्र कुमार निवासी कोतना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तौगी थाना बडौत, बागपत

2-है0का0 542 अशोक थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-का0 142 दीपक थाना बडौत, बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत- दिनाँक 26.07.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 420/2026 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(1) बी0एन0एस0 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30-06-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी विनोद कुमार पुत्र स्व0 धनपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विकास उर्फ विक्की पुत्र नवाब, 2.बिजन उर्फ बिजेन्द्र पुत्र कृष्णपाल, 3.रमन पुत्र ऋषिपाल, 4.सजन पुत्र कृष्णपाल, 5. नवाब पुत्र रगबर, 6.राजेन्द्र पुत्र ऋषिपाल निवासीगण ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 7. जितेन्द्र उर्फ जित्तू पुत्र नौराज निवासी गायत्रीपुरम् कस्बा बागपत, 8. शेरसिंह उर्फ कपिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी कस्बा बागपत, 9.दीपक चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जगबीर निवासी पक्का घाट कस्बा बागपत, 10.सुगम सांगवान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सांकलपुट्ठी जनपद बागपत व 2-3 अज्ञात बदमाश द्वारा भट्टे की मिट्टी से भरे हाईवा से उसकी ब्रेजा कार में टक्कर मार दी, शिकायत करने पर अभियुक्तों द्वारा अपने चेहरे पर कपड़ा बांध कर अपने हाथो में लिये हथियारों पिस्टल, रिवाल्वर से उसके व उसके लडकों पर जान से मारने की नीयत से अन्धा धुंध फायरिंग की गयी, जिसमें उसका लडका जतिन गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा अभियुक्तों द्वारा हाथों में लिये हॉकी व डण्डों से अभिषेक के साथ भी मारपीट की, जिसमें अभिषेक गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा उसका दांत भी टूट गया। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा .315 बोर बरामद हुआ है। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृध्दि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.जगत पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 42 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा .315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री अकित चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-रि0का0 अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट

थाना बालैनी   दिनाँक 26/07/26

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0-99/26 धारा 74,75(2),115(2),351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0-99/26 धारा 74,75(2),115(2),351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपांकर पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम घटौली थाना बालैनी बागपत उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 आरती जादौन थाना बालैनी।
2. मय म0है0कां0 826 प्रमिला थाना बालैनी।
3. है0का0 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी।
4. है0का0 341 वीरेन्द्र भाटी थाना बालैनी।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 26.07.2026

थाना बिनौली पुलिस टीम ने थाने के मु0अ0सं0 224/2026 धारा 305ए BNS व मु0अ0सं0 200/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .312 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .312 बोर, 02 अवैध चाकू, चोरी किये हुए 09 हजार रूपये नगद, 10 जीन्स की पेंट एवं घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 24.07.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री सुभाष पुत्र धारासिंह निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि 03 अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर में टंगे कुर्ते से 50 हजार रूपये चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 224/26 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया। ।

2- दिनांक 04.07.2026 को वादी श्री विरेश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि वादी के खाली प्लाट में बंधे भैसे को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 200/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 224/2026 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 200/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया हैं जिनके कब्जे से मु0अ0सं0 224/26 से सम्बन्धित 09 हजार रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल 1. मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर बिना नंबर प्लेट 2. हीरो स्प्लेण्डर नंबर UP15DL3967 एवं 10 जीन्स की पेंट तथा जामातलाशी से एक अवैध तमन्चा .312 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .312 बोर तथा 02 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली जनपद बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट. बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 224/26 में धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 की वृद्धि की गयी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.फिरोज पुत्र अब्दुल रजाक निवासी ग्राम महलका मौहल्ला शाहपौर थाना फलावदा जिला मेरठ उम्र करीब 35 वर्ष ।

2.वाहिद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम महलका मौहल्ला शाहपीर थाना फलावदा जिला मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष

3.जुनैद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम महलका मौहल्ला शाहपीर थाना फलावदा जिला मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- मु0अ0सं0 224/26 से सम्बन्धित 09 हजार रूपये नगद
- घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाईकिल 1. मोटर साइकिल हीरो स्पेलण्डर बिना नंबर प्लेट 2. हीरो स्पेलण्डर नंबर UP15DL3967
- 10 जीन्स की पेंट
- एक अवैध तमन्चा .312 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .312 बोर।
- 02 अवैध चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अबतक ज्ञात आपराधिक इतिहास

फिरोज पुत्र रज्जाक नि0 ग्राम महलका थाना फलावदा जिला मेरठ

1. मु0अ0सं0 72/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फुगाना जिला मुजफ्फनगर
2. मु0अ0सं0 36/2017 धारा 138 विद्युत अधि0 थाना फलावदा जिला मेरठ

3. मु0अ0सं0 102/2018 धारा 138 विद्युत अधि0 थाना फलावदा जिला मेरठ
4. मु0अ0सं0 372/2024 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बुढाना जिला मुजफ्फनगर
5. मु0अ0सं0 1323/2018 धारा 414/465 भादवि थाना कोतवाली नगर ,मुजफ्फरनगर
6. मु0अ0सं0 200/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली जिला बागपत
7. मु0अ0सं0 224/26 धारा 305ए/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना बिनौली

अभियुक्त वाहिद पुत्र अब्दुल खालिद नि0 उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 372/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बुढाना जिला मुजफ्फनगर
2.मु0अ0सं0 72/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फुगाना जिला मुजफ्फनगर
3.मु0अ0सं0 200/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली जिला बागपत
4.मु0अ0सं0 224/26 धारा 305ए/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना बिनौली ,बागपत।

अभियुक्त जुनैद पुत्र निजामुद्दीन नि0 उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 147/23 धारा 379/411/504 भादवि थाना मवाना जिला मेरठ
2.मु0अ0सं0 200/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली जिला बागपत
3.मु0अ0सं0 224/26 धारा 305ए/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना बिनौली ,बागपत।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
2.उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3.है0का0 700 सुनील कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
4.का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
5.का0 892 तेजवीर थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 26.07.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 158/26 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

सक्षिंप्त विवरण-

दिनांक 25.07.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री कपिल पुत्र जयवीर निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त संदीप पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी की बहन मधू पत्नी संदीप निवासी ग्राम बराल थाना रमाला की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0स0 158/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 158/26 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है

। उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संदीप पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना रमाला बागपत ।

2-का0 718 अनित कुमार थाना रमाला बागपत ।

3-है0का0 134 विकास थाना रमाला बागपत ।